न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

दावा संख्या 28/24 दायरा दिनांक 04.07.2024

1–छीता पुत्र हरचन्दी जाति सहरिया निवासी बडारा तह0 शाहावाद जिला–बारां राज0

2–प्रेम पुत्र हरचन्दी जाति सहरिया निवासी बडारा तह0 शाहावाद जिला–बारां राज0

वादीगण

बनाम

1–दलसिंह पुत्र नामालूम जाति भील निवासी जाबरा (खटका) तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0

2–स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला–बारां राज0

प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955

<u>निर्णय–दिनांक 14.05.2025</u>

उपस्थित– वादीगण की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय दिनांक 21.04.2025

वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की ग्राम बडारा पटवार हल्का राजपुर में ख0नं0 60/224 रकबा 7.19 बीघा दर्ज है। वादीगण वहैसियत कृषक उक्त भूमि पर निरंतर काबिज काश्त हैं। उक्त भूमि में वादीगण के अलावा अन्य किसी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त भूमि को आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रतिवादीकम 1 भील जाति का झगडालु किस्म का व्यक्ति है जो गैंग बनाकर जबरन ताकत के बल पर सरकारी भूमि को हांक कर काबिज हो जाते हैं। प्रतिवादीकम 1 अपने सहयोगियों के साथ गत वर्ष विवादित भूमि पर आया व उक्त विवादित भूमि पर कब्जा करने को सरकारी भूमि होना बताकर कब्जा करने को धमकाने लगा। वादीगण ने विवाद से बचने हेतु सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया हल्का पटवारी ने मौका देखा व विवादित भूमि वादीगण की होना प्रमाणित हुआ। वादीगण बहैसियत खातेदार निरन्तर काबिज रहा। दिनांक 23.06.2024 को प्रतिवादीकम 1 अपने सहयोगियों को लेकर विवादित भूमि पर कब्जा करने की नीयत से आया। वादीगण को धमकाते हुये जबरन हंकाई हेतु ट्रेक्टर चलाने लगा। वादीगण ने पु[illegible] मोबाइल पर सूचना दी तो प्रतिवादीकम 1 अपने सहयोगियों के साथ भाग गया। जा[illegible]तिवादीकम 1 ने धमकी दी कि वह विवादित भूमि से वादीग[illegible] बेदखल कर[illegible] करके रहेगा। प्रतिवादीकम 1 की विवादित भूमि के आसपास [illegible] है। प्रतिवादीकम 1 सरकारी भूमि का हवाला देकर वादीगण की उक्त विवादि[illegible]जी पर कब्जा करने[illegible]मादा फसाद हो रहा है। अतः प्रतिवादीकम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्[illegible]या जावे कि प्रतिवादीकम 1 विवादित भूमि ग्राम बडारा पटवार हल्का राजपुर में ख0नं0 60/224 रकबा 7.19 बीघा पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:51:32 IST
Reason: SelfAttested

14.05.2025

उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीक्रम 1 के विरूद्व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 21.04.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। संलग्न पत्रावली नकल जमाबंदी ग्राम बडारा तहसील शाहाबाद सम्वत 2072–75 खाता संख्या 36 अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 60/224 रकबा 7.19 बीघा वादीगण के रिकार्डेड खातेदारी की है, जिस पर संलग्न नकल खसरा गिरदावरी से वादी का कब्जा काश्त होना भी प्रमाणित है। वादीगण के खातेदारी कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत करने का प्रतिवादी को कोई हक अथवा अधिकार नहीं है।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीक्रम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के खाते की आराजी ख0नं0 60/224 रकबा 7.19 बीघा ग्राम बडारा तहसील शाहाबाद बावत वादीगण के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत अथवा मदाखलत नहीं करेंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

14.05.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:51:32 IST
Reason: SelfAttested